हेमचंद झा

बनाम

बिहार राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 7/2002)

जून 13, 2008

[डॉ. अरिजीत पासायत और पी.पी. नाओलेकर, न्यायाधिपतिगण]

दंड संहिता, 1860 - धारा 34 - सामान्य आशय की प्रयोज्यता के लिए- समान्य आशय के लिए आवश्यक - यह निर्णीत किया गया: धारा 34 तब भी लागू होती है जब उस अभियुक्त द्वारा स्वयं कोई चोट नहीं पहुंचाई गई हो - अभियुक्त की ओर से कुछ प्रत्यक्ष कृत्य आवश्यक नहीं - हस्तगत मामले में, अभियुक्त की यह दलील कि अभियुक्त की कोई निश्चित भूमिका नहीं थी और अभियुक्त ने बंदूक से गोली चलाई और मृतक की हत्या कर दी, अतः, धारा 34 लागू नहीं है, मान्य नहीं है - तथ्यों पर, धारा 34 स्पष्ट रूप से लागू है - अतः, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अभियुक्त को धारा 302 सपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाना उचित है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के दिन, अपीलार्थी-अभियुक्त और सह-अभियुक्त एक अन्य व्यक्ति के साथ मोटर साइकिल पर आए और केकेएस की जीप के पास रुके। अपीलार्थी मोटर साइकिल चला रहा था। वे मोटर साइकिल से उतरे और केकेएस की ओर गए, जो पेट्रोल टैंक बंद कर रहा था। सह-अभियुक्त केकेएस के पास गया, पिस्तौल निकाली और केकेएस के कान के पास गोली चला दी। अभियुक्तगण ने

प्रत्यक्षदर्शियों को धमकी दी। अभियुक्तगण भाग गये। केकेएस की चोटों के कारण मृत्यु हो गई। एफ.आई.आर दर्ज कराई गई। जांच की गई। अपीलार्थी को भा.दं.सं की धारा 302 सपठित धारा 34 के अंर्तगत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा। इसलिए यह अपील प्रस्तुत है।

न्यायालय ने, अपील को खारिज करते हुए,

माना: 1.1 धारा 34 किसी आपराधिक कृत्य को करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित की गई है। यह धारा केवल एक साक्ष्य का नियम है और कोई पृथक से अपराध नहीं बनाती। इस धारा की विशिष्ट बात कृत्य में भागीदारी का तत्व है। कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के दौरान दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के तहत उत्पन्न होता है यदि ऐसा आपराधिक कृत्य अपराध करने में शामिल होने वाले व्यक्तियों के सामान्य आशय के अनुसरण में किया गया हो। सामान्य आशय का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी उपलब्ध होता है और इसीलिए, ऐसे आशय का अनुमान केवल मामले के सिद्ध तथ्यों और सिद्ध परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है। सामान्य आशय के आरोप को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य, चाहे प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य, द्वारा यह सिद्ध करना होगा कि सभी अभियुक्तगण की उस अपराध को करने की योजना या सहमति थी जिसके लिए उन पर धारा 34 की सहायता से आरोप लगाया गया है, ऐसी योजना या सहमति पूर्व-नियोजित भी हो सकती है या तत्क्षण की भी हो सकती है, लेकिन यह अनिवार्य रूप से अपराध होने से पहले होनी चाहिए। इस धारा का प्रमुख बिंदु यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से कोई कार्य करते हैं, तो कानून में स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने इसे व्यक्तिगत रूप से स्वयं किया हो।

1.2 किसी अपराध में भाग लेने वालों के बीच एक सामान्य आशय का होना इस धारा को लागू करने के लिए आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी अपराध को संयुक्त रूप से करने का आरोप लगाए गए कई व्यक्तियों के कार्य समान हों या एक जैसे हों। कृत्य चरित्र में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन प्रावधान को आकर्षित करने के लिए उन्हें एक ही सामान्य आशय से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।[पैरा 5] [1176-डी & ई]

अशोक कुमार बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1977 एससी 109) पर भरोसा किया गया।

1.3 यह धारा "सभी का सामान्य आशय" नहीं कहती है, न ही यह "और सभी का समान आशय" कहती है। धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार दायित्व का सार सामान्य आशय का अस्तित्व में होना जो अभियुक्त को ऐसे आशय को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक कृत्य करने के लिए प्रेरित करता है। धारा 34 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप, जब किसी आरोपी को धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया जाता है, तो कानून में इसका मतलब है कि आरोपी उस कार्य के लिए जिसके कारण मृतक की मृत्यु हुई उसी प्रकार उत्तरदायी है जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया हो। प्रावधान का उद्देश्य ऐसे मामले से निपटना है जिसमें किसी पार्टी के अलग-अलग सदस्यों के कार्य के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है जो सभी के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं या यह साबित करना मुश्किल हो सकता है कि उनमें से प्रत्येक ने क्या भूमिका निभाई थी। धारा 34 लागू होगा भले ही उस अभियुक्त द्वारा स्वयं कोई चोट न पहुंचाई गई हो। धारा 34 लगाने के लिए अभियुक्त की ओर से कोई प्रत्यक्ष कृत्य दिखाना आवश्यक नहीं है। [पैरा 6] [1176-ई, एफ, जी & एच; 1177-ए]

सीएच पुल्ला रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (एआईआर 1993 एससी 1899) पर भरोसा किया गया।

2. तथ्यों को ध्यान में रखते हुए धारा 34 भा.दं.सं. स्पष्ट रूप से लागू होता है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषी ठहराना न्यायोचित था और उसे उचित रूप से भा.दं.सं. की धारा 302 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया है। [पैरा 7] [1177-बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 7/2002।

पटना उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 400/1993 में दिए गए निर्णय दिनांकित 22.6.2001 से उद्भूत।

अपीलार्थी की ओर से विकास रोजीपुरा (ए.सी.)।

प्रत्यर्थी की ओर से गोपाल सिंह एवं मनीष कुमार।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजित पासायत, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

1. अपीलार्थी और कृपाल सिंह द्वारा पेश अपील को खारिज करने वाले पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय की वैधता पर अपीलार्थी ने प्रश्न उठाया है। कृपाल सिंह को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में भा.दं.सं) की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और तत्पश्चात शस्त्र अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए भी दोषी माना गया। वर्तमान अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

2. विचारण न्यायालय ने आरोपी संजय सिंह को दोषमुक्त कर दिया जिसका विचारण उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीलार्थियों के साथ हुआ था।

3.अभियोजन पक्ष का वृतांत संक्षेप में इस प्रकार है:

5-6-1991 को शाम 4:15 बजे सूचक ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंह ने पुलिस को लिखित सूचना दी कि मिथिलेश कुमार सिंह, कृष्ण कुमार सिंह (इसके पश्चात मृतक संबोधित किया जायेगा) एवं कृष्णा दूबे उनके भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए ओ आर सी 9827 नंबर की जीप से नावदी गांव के लिए रवाना हुये। दोपहर करीब ढाई बजे जीप रवीन्द्र पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल लेने के लिए रुकी. पेट्रोल ले लिया गया। इस दौरान अभियुक्त कृपाल सिंह, हेमचंद झा और एक व्यक्ति जिसे उसने चेहरे से पहचाना वह काले रंग की राजदूत मोटर साइकिल पर आए और जीप के दाहिनी ओर मोटर साइकिल रोकी। मोटर साइकिल अपीलार्थी हेमचंद झा चला रहा था। वे मोटरसाइकिल से उतर कर पेट्रोल पंप के पीछे चले गये. कृष्णा सिंह पेट्रोल टंकी बंद कर रहा था। उक्त तीनों व्यक्ति उसके पास आये। कृपाल सिंह कृष्णा सिंह के करीब आये और पिस्तौल निकाल कर कृष्णा सिंह के कान के पास गोली मार दी. कृष्णा सिंह जमीन पर गिर पड़े और असहनीय दर्द के कारण कांपने लगे। मिथिलेश और कृष्णा दूबे ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन तीसरे व्यक्ति, जिसे उसने चेहरे से पहचाना, ने कमर से पिस्तौल निकाल ली और आगे बढ़ने पर जान से मारने की धमकी दी। तीनों आरोपी मोटर साइकिल पर सवार होकर बायपास के रास्ते पश्चिम दिशा की ओर भाग गये। गवाहों ने कृष्णा सिंह को उक्त जीप से इलाज के लिए औरंगाबाद अस्पताल ले गये जहां उनकी मौत हो गयी. कई व्यक्तियों द्वारा घटना देखी गई।

उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर एक औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई, जांच की गई और जांच पूरी होने पर तीन लोगो के खिलाफ न्यायलय में

आरोप पत्र दाखिल किया गया जिस न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया था, उसने संज्ञान लिया और मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया। अपीलकर्ताओं का बचाव यह था कि वे निर्दोष थे और उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया था।

अभियोजन ने अपने पक्ष में दस गवाहों को परीक्षित किया। उनमें से पीडब्लू. 1, 2 और 3 के चश्मदीद गवाह होने का दावा किया। पूर्वोक्त चश्मदीद गवाहों के कथन पर भरोसा कर ट्रायल कोर्ट ने आरोपी अपीलकर्ता को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई। लेकिन संजय सिंह को बारी किया गया।

कृपाल सिंह और वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील खारिज कर दी गई।

अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कथन किया कि अपीलकर्ता को कोई निश्चित भूमिका नहीं दी गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कृपाल सिंह ने ही बंदूक से गोली चलाकर मृतक की हत्या की थी। उनके अनुसार आईपीसी की धारा 34 का कोई उपयोग नहीं है।

दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने फैसले का समर्थन किया।

4. पीडब्लू 1, 2 और 3 के अनुसार वर्तमान अपीलकर्ता मोटर साइकिल चला रहा था। हमलावर कृपाल सिंह और अपीलकर्ता मोटर साइकिल से उतर गए और पेट्रोल पंप की ओर चले गए। मृतक पेट्रोल टैंक पर कैप लगा रहा था। आरोपी कृपाल सिंह मृतक के करीब आया और पिस्तौल निकालकर मृतक के कान के पास गोली मार दी। जब तीनों प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की। उन्हें गंभीर परिणाम

भुगतने की धमकी दी गई। तीनों आरोपी लोग बाई पास रोड पर पश्चिम दिशा की ओर मोटर साइकिल से भाग गये, जिसे अभियुक्त चला रहा था।

5. धारा 34 किसी आपराधिक कृत्य को करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित की गई है। यह धारा केवल एक साक्ष्य का नियम है और कोई स्वतंत्र अपराध नहीं बनाती। कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के दौरान दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के तहत उत्पन्न होता है यदि ऐसा आपराधिक कृत्य अपराध करने में शामिल व्यक्तियों के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। सामान्य आशय का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी उपलब्ध होता है और इसलिए, ऐसे आशय का अनुमान केवल प्रकरण के सिद्ध तथ्यों और सिद्ध परिस्थितियों से सामने आने वाली परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है। सामान्य आशय के आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को साक्ष्य द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य, यह स्थापित करना होगा कि सभी आरोपी व्यक्तियों की उस अपराध को करने की योजना या सहमति थी चाहे यह पूर्वयोजित हो या क्षणिक प्रेरणा पर, जिसके लिए उन पर धारा 34 की सहायता से आरोप लगाया गया है। लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध के घटित होने से पहले होना चाहिए। धारा की वास्तविक सामग्री यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से कोई कार्य करते हैं, तो कानून में स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने इसे व्यक्तिगत रूप से स्वयं किया हो। जैसा कि अशोक कुमार बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1977 एससी 109) में देखा गया कि अपराध में भाग लेने वालो के बीच एक सामान्य आशय का होना इस धारा को लागू करने के लिए आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी अपराध को संयुक्त रूप से करने का आरोप लगाए गए कई व्यक्तियों के कार्य समान हों या एक जैसे हों। कार्य

चरित्र में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन प्रावधान को आकर्षित करने के लिए उन्हें एक ही सामान्य आशय से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

6. यह धारा "सभी का सामान्य आशय" नहीं कहती है, न ही यह "और सभी का समान आशय" कहती है। धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार दायित्व का सार सामान्य आशय का अस्तित्व में होना जो अभियुक्त को ऐसे आशय को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक कृत्य करने के लिए प्रेरित करता है। धारा 34 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप, जब किसी आरोपी को धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया जाता है, तो कानून में इसका मतलब है कि आरोपी उस कार्य के लिए जिसके कारण मृतक की मृत्यु हुई उसी प्रकार उत्तरदायी है जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया हो। प्रावधान का उद्देश्य ऐसे मामले से निपटना है जिसमें किसी पार्टी के अलग-अलग सदस्यों के कार्य के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है जो सभी के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं या यह साबित करना मुश्किल हो सकता है कि उनमें से प्रत्येक ने क्या भूमिका निभाई थी। जैसा कि सीएच पुल्ला रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (एआईआर 1993 एससी 1899), में देखा गया कि धारा 34 लागू होगा भले ही विशेष अभियुक्त द्वारा स्वयं कोई चोट न पहुंचाई गई हो। धारा 34 लगाने के लिए अभियुक्त की ओर से कोई प्रत्यक्ष कृत्य दिखाना आवश्यक नहीं है।

7. उपरोक्त उल्लिखित पृष्ठभूमि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आईपीसी की धारा 34 स्पष्ट रूप से लागू होती है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का अपीलकर्ता को दोषी ठहराना उचित था और उसे आईपीसी की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सही दोषी ठहराया गया है।

8. हम निर्देश देते है की अपील निराधार है, खारिज करने योग्य है।

9. हम विद्वान न्याय मित्र श्री विकास रोजीपुरा द्वारा सक्षम तरीके से न्यायालय की सहायता करने के लिए सराहना करते हैं।

एन.जे. अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विनय जयपुरिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।